

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 100/2023 (बिशनाराम वगै० बनाम हवासिंह वगै०)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू०अ०/2025/1937 दिनांक 15.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1498/803 रकबा 1.00 है० भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है० में)	भूमि किस्म
1	बनवारी पुत्र शंकर जाति नायक सा. देह खातेदार	1498/803/2	0.2233	बा.2
2	बिशनाराम पुत्र शंकर जाति नायक सा. देह खातेदार	1498/803/3	0.2233	बा.2
3	तनसुखराम पुत्र शंकर हि. 0.2234 जाति नायक सा. देह खातेदार हवासिंह पुत्र प्रसादाराम हि० 0.33 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	1498/803/1	0.5534	बा.2

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर